No. 7-2/2016-PCC
Government of India
Ministry of Communication & IT
Department of Posts

NRD Acct Postal Nagaland

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi – 110001
Date : 14 .07.2017

To

All the Heads of Circle

Subject : - Implementation of recommendations of the 7th Central Pay Commission

I am directed to re-circulate the following order on the subject mentioned above issued by Ministry of Finance, Department of expenditure for information and necessary action.

S/No.	Number.	Subject
i	Gazette Notification published under no. 11-1/2016-IC dated 6.7.2017	Resolution on Allowances
ii	OM No. 2/5/2017-E.II(B) dated 7.7.2017	Implementation of recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees
iii	OM No. 21/5/2017-E.II(B) dated 7.7.2017	Implementation of recommendations of the 7th Central Pay Commission relating to grant of Transport Allowance to Central Government employees
iv	OM No. 29/1/2017-E.II(B) dated 11.7.2017	Payment on account of discounted allowances-regarding.

(R.L. Patel)
Asstt. Director General (GDS/PCC)

Encl : As above

Copy to :-

1. Chief General Manager, PLI/BD Directorate, New Delhi.
2. Addl. Director General, Army Postal Corps, R.K. Puram, New Delhi – 110066.
3. Director, RAKNPA, Ghaziabad,
4. DDG (PAF)/JS&FA/ Secretary (PSB)
5. All Directors/Dy Director of Accounts (Postal)
6. Pr. Director of Audit (Postal), Delhi – 110054.
7. The Officer In-Charge, APS Record Office, Kamptee.
8. All Directors, Postal Training Centers.
9. All Recognized Unions/Associations/Federations
10. Sr. PPS to Secretary (Posts)/DG (Posts)
11. PS to Member (P)/ Member (PLI)/ Member (O)/Member (Planning)/Member (Tech) /Member (HRD)
12. SBP-II/SPG Branch/ PAP/Resident Auditor, Postal Directorate.
13. Director, CEPT, Mysore – for uploading on www.indiapost.gov.in.
14. Office /spare.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939
No. 169] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

सं.11-1/2016-आईसी.—भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 के संकल्प सं. 1/1/2013-ई.III(ए) द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। 08 सितम्बर, 2015 के संकल्प संख्या-1/1/2013-ई.III(ए) के माध्यम से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि 31 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ा दी गयी थी। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने तारीख 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में यथा-विनिर्दिष्ट उसके निर्देश निबंधन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की थी।

2. सरकार ने तारीख 25 जुलाई, 2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के पैरा 7 द्वारा भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) को, भत्ते संबंधी समिति को निर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया था। उसने यह भी विनिश्चय किया था कि समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों के संबंध में कोई अंतिम विनिश्चय किए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान विद्यमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर ऐसे किया जाता रहेगा मानो 1 जनवरी, 2016 से वेतन पुनरीक्षित ही न किया गया हो।

3. उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल, 2017 को प्रस्तुत की। सरकार ने विचार करने के पश्चात्, भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें **परिशिष्ट I** में यथा-विनिर्दिष्ट 34 उपांतरणों के साथ स्वीकार करने का विनिश्चय किया है। भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के विनिश्चय को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट II** में दिया गया है।

4. भारतीय नौसेना को दिए गए कुछ भत्तों, जिनका भुगतान इस समय भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाता है, का उल्लेख सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में नहीं किया गया है। सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसे भत्तों का, जो भारतीय नौसेना के लिए अनुज्ञेय हैं, भुगतान भारतीय नौसेना के अनुरूप भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाएगा।

5. रेल मंत्रालय से संबंधित 12 चालन भत्तों के संबंध में दरें, रेल मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।

6. भत्तों की पुनरीक्षित दरें 01 जुलाई, 2017 से अनुज्ञेय हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित उपांतरणों के साथ सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत भत्तों की सूची

(1)	(2)	(3)	(4)
क्र. सं.	भत्ते का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार द्वारा स्वीकृत उपांतरण
1.	अंटार्कटिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाएगा।	जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से बाहर रखा जाए और इसका भुगतान प्रति दिन आधार पर किया जाए। दरें गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1125 प्रति दिन से संशोधित करके ₹1500 प्रति दिन और ₹1688 प्रति दिन से संशोधित करके ₹2000 प्रति दिन की गईं। दल के नेता को गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1650 प्रति दिन और ₹2200 प्रति दिन की दर से इतर 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी।
2.	ब्रेकडाउन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹120 – ₹300 प्रति माह से संशोधित करके ₹270 – ₹675 प्रति माह की गईं।
3.	रोकड़ संभाल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं: (₹ प्रति माह) संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि / छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें / संशोधित दरें <= 5 लाख / 230 - 600 / 700 5 लाख से अधिक / 750 - 900 / 1000
4.	कोयला पायलट भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें प्रथम ट्रिप के लिए ₹45 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹102 और उसके बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए ₹15 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹34 प्रति ट्रिप की गईं।
5.	साईकिल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। डाक विभाग और रेलवे के लिए ₹90 प्रति माह की विद्यमान दरें दुगुनी करके ₹180 प्रति माह की गईं। व्यय विभाग के अनुमोदन से अन्य मंत्रालयों/विभागों में बरकरार रखा जाए जहां किसी विशेष वर्ग के स्टॉफ के लिए कार्य संबंधी औचित्य मौजूद हो।

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	दैनिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। सभी प्रावधान रेल कार्मिकों पर भी लागू होंगे।	लेवल-12 – 13 के लिए यात्रा प्रभार '50 किमी तक गैर-एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके '50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' और लेवल 14 और ऊपर के लिए' 50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके 'सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार एसी टैक्सी प्रभार' किया गया। रेल मंत्रालय में दैनिक भत्ते की विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
7.	नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए)	बरकरार रखा जाए। यथा-स्थिति बनाए रखी जाए।	₹500 की विद्यमान दर संशोधित करके ₹1000 प्रति माह की गई।
8.	नियत मौद्रिक प्रतिपूर्ति	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त पद भत्ता' लागू होगा।	मिलाया न जाएगा और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। विद्यमान दरें संशोधित करके पूरी बीट के लिए ₹50 से ₹115 और बीट साझा करने के लिए ₹24 से ₹54 की गईं।
9.	अंत्येष्टि भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	नाम में बदलाव के साथ 'अंत्येष्टि व्यय' के रूप में बरकरार रखा जाना है। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹6000 से संशोधित करके ₹9000 की गईं।
10.	अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर "राष्ट्रीय अवकाश भत्ता" लागू होगा।	मिलाया न गया और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। आसूचना ब्यूरो (आई बी) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
11.	अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता	बरकरार रखा जाए युक्तिसंगत बनाया गया। नई प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका के अनुसार भुगतान किया जाए। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता मंत्रालयी स्टॉफ को इस आधार पर स्वीकार्य हैं कि संपूर्ण अस्पताल क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा है। यह परम्परा समाप्त की जानी चाहिए और अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए जो लगातार और नेमी रूप में रोगियों के संपर्क में आते हैं।	मंत्रालयी स्टॉफ को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका (लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹4100 और लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹5300) के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता मिलता रहेगा।
12.	मकान किराया भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं: (i) मकान किराया भत्ता एक्स श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए 30%, वाई श्रेणी (5 से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए 20% और जेड श्रेणी (5 लाख से कम

(1)	(2)	(3)	(4)
			आबादी) के शहर के लिए 10% की दर से क्रमश: ₹5,400 प्रति माह, ₹3,600 प्रति माह और ₹1,800 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। (ii) महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: 27%, 18% और 9% तथा महंगाई भत्ते के 50% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता आगे संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।
13.	किट रख-रखाव भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। नव-प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए।	विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के लिए परिधान भत्ते में मिला दिया गया और एसपीजी के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण में इसे ध्यान में रखा गया।
14.	प्रक्षेपण अभियान भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा जाए। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
15.	नर्सिंग भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।	विद्यमान दरों को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹4800 प्रति माह से संशोधित करके ₹7200 प्रति माह की गईं।
16.	ऑपरेशन थिएटर भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹360 प्रति माह से संशोधित करके ₹540 प्रति माह की गईं।
17.	समयोपरि भत्ता	सांविधिक प्रावधानों से शासित प्रचालन स्टॉफ और औद्योगिक कर्मचारियों के मामले को छोड़कर शेष के लिए समाप्त कर दिया जाए।	मंत्रालयों/विभागों को 'प्रचालन स्टॉफ' की श्रेणी में आने वाले स्टॉफ की सूची तैयार करनी है। समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि न की जाए।
18.	प्रफेशनल अपडेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक बढ़ाया जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए।	परमाणु ऊर्जा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान जारी रखा जाए। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
19.	अर्हता अनुदान	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर रक्षा कार्मिकों के लिए नव-प्रस्तावित उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इन संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं कि: (i) इसमें स्तर-II के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, और (ii) बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों को सहयोजित करके पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 तक की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	राशन मनी भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन और राशन मनी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए।	शांत क्षेत्रों में रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन का प्रावधान समाप्त किया जाएगा। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों को राशन मनी भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। नकद राशि अधिकारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
21.	जोखिम भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹60 प्रति माह से संशोधित करके ₹135 प्रति माह की गईं।
22.	सियाचिन भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाए।	दरें इस प्रकार संशोधित की गईं: लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 से संशोधित करके ₹42500 प्रति माह, और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹21000 से संशोधित करके ₹30000 प्रति माह।
23.	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
24.	विशेष नियुक्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त कार्य भत्ता' लागू होगा। विशेष नियुक्तियों पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किया जाए।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ मूल वेतन के 2% प्रति माह की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ते के लिए पात्र सूची में सहायक सब इंस्पेक्टर (आरएम), सहायक सब इंस्पेक्टर (आरओ) और सब इंस्पेक्टर (आरएम) को शामिल किया गया।
25.	विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव प्रस्तावित दुर्गम स्थल भत्ता-I, II या III लागू होगा। विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश कि विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत संशोधन-पूर्व दरों पर विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ते का लाभ लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा।
26.	विशेष ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 फरवरी, 2009 के का. ज्ञा. सं. 14017/4/2005-एआईएस (II) के अनुसार 'अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' 25% की दर से दिया जाता है। विशेष ड्यूटी भत्ता 12.5% की दर से दिया जाता है। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। इन दोनों भत्तों अर्थात् 'अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' और 'विशेष ड्यूटी भत्ता' का वर्तमान की तरह क्रमश: 20% और 10% की संशोधित दरों से भुगतान जारी रहेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	विशेष घटना/जांच/ सुरक्षा भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। राजस्व विभाग को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् उपयुक्त कोष्ठिका के अनुसार, जोखिम और कठिनाई भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय में मामला पेश किया जाए।	विशेष सुरक्षा दल के लिए विशेष सुरक्षा भत्ता ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के 40% से संशोधित करके 55% और गैर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के 20% से संशोधित करके 27.5% किया गया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के कर्मचारियों को यह भत्ता मूल वेतन के 20% की दर से प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक व्यय विभाग के अनुमोदन से एक तदर्थ उपाय के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह भत्ता दिनांक 01.07.2017 से प्रवर्तन निदेशालय से वापस लिया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई आधारित भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को मामला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के प्रस्ताव की जांच करेगा।
28.	विशेष चालन स्टॉफ भत्ता	बरकरार रखा जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए।	इस भत्ते का नाम 'अतिरिक्त भत्ता' बना रहेगा।
29.	तकनीकी भत्ता	तकनीकी भत्ते के स्तर-I का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता रहेगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	₹3000 प्रति माह और ₹4500 प्रति माह की दर से तकनीकी भत्ते (स्तर – I और II) की विद्यमान प्रणाली 31.03.2018 तक जारी रखी जाए। बदलती रक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों, बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों को सहयोजित करके अर्हता अनुदान (रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन) के साथ-साथ तकनीकी भत्ते (स्तर–I और II) के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 से पहले पूरी की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा के बाद ही तकनीकी भत्ते (स्तर–II) को 31.03.2018 से आगे जारी रखा जाए।
30.	प्रशिक्षण भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए। यह भत्ता पात्र कर्मचारी को उसके संपूर्ण करियर के दौरान अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा।	5 वर्ष की अधिकतम सीमा को हटाया जाएगा। कार्यकालों के बीच मानक उपशमन अवधि लागू होगी।
31.	यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। भारतीय रेल अपने कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 से 8 हवाई यात्रा के लिए पात्र होंगे। यात्रा पात्रताओं के लिए रक्षा बलों के लेवल 5क को लेवल 6 में मिला दिया जाएगा। विद्यमान प्रणाली को रेल मंत्रालय में जारी रखा जाएगा।

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr>
<tr><td>32.</td><td>कोषागार भत्ता</td><td>समाप्त कर दिया जाए।</td><td>रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं:
(₹ प्रति माह)
<table>
<tr><th>संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि</th><th>छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें</th><th>संशोधित दरें</th></tr>
<tr><td><= 5 लाख</td><td>230 - 600</td><td>700</td></tr>
<tr><td>5 लाख से अधिक</td><td>750 - 900</td><td>1000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>33.</td><td>वर्दी भत्ता</td><td>पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए और इसका वार्षिक भुगतान किया जाए।</td><td>सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत की गईं:
निम्नलिखित वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें:
(i) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) कार्मिक – ऑपरेशनल और गैर-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्रमश: ₹27,800 प्रतिवर्ष और ₹21,225 प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक भुगतान किया जाएगा।
(ii) नर्स – ₹1800 प्रतिमाह की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।
आब्रजन ब्यूरो की सभी जांच चौकियों पर भी लागू किया जाए।</td></tr>
<tr><td>34.</td><td>धुलाई भत्ता</td><td>पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।</td><td>नर्सों के संबंध में परिधान भत्ते में मिला दिया गया और नर्सों के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा गया।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट II

भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)
क्र.सं.	**भत्ते का नाम**	**7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें**	**सरकार का निर्णय**
1	दुर्घटना भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
2	कार्यकरण भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त पद भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
3	वैमानिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
4	एअर डिस्पेच वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
5	एअर स्टूअर्ड भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
6	उड़न योग्यता प्रमाण-पत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
7	किलोमीटरेज के बदले भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।